विवरणी

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जमावन्दीदार भुधर खड़िया पिता - जयमसीह बन्धु खड़िया को खास नोटिस निर्गत किया गया थी जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध जमावन्दीदार के पुत्र आनन्द कुल्लू द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम समसेरा खाता सं० 251 प्लॉट सं० रकबा 1.90 ए० वर्ष 2015-16 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान आनन्द कुल्लू ने अपना लिखित बयान दिया कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अनिबंधित सादा हुकुमनामा जमा किया है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

12/9/2020

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया हे कि पंजी II में संदिग्ध/अवैध जमावन्दीदार के नाम से जमावन्दी कायम होने का आधार एवं खेसरा संख्या दर्ज नहीं है। रा०उ०नि० एवं अं०नि० ने जमावन्दी रद करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भुधर खड़िया पिता - जयमसीह बन्धु खड़िया ग्राम - समसेरा के नाम से चल रही निम्नांकित जमावन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
समसेरा	67	251	—	1.90 ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उपरोक्त जमावन्दी को निरस्त किया जाता है।

लेखापित

12/09/2020

अंचल अधिकारी,
बोलबा।

12/09/2020

अंचल अधिकारी,
बोलबा।

Scanned with CamScanner